निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26

6 श्रावण 1943 (श0)
पटना, बुधवार,
28 जुलाई 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-38
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	39-39
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	40-40
पूरक	---
पूरक-क	41-44

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचनाएं
2 दिसम्बर 2020

सं0 257 A नि0––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री नीरज कुमार, बि0प्र0से0, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र
2.	श्री राजीव रंजन कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0, अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र
3.	श्री कुन्दन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज।	उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र
4.	श्री अभिराम त्रिवेदी, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा।	मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 2nd December 2020

No. 257 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Niraj Kumar, B.A.S. S.D.O., Madhepura	Madhepura Sub Division
2.	Sri Rajeev Ranjan Kumar Sinha, B.A.S. S.D.O., Uda-Kishunganj	Uda-Kishunganj Sub Division
3.	Sri Kundan Kumar, D.C.L.R., Uda-Kishunganj	Uda-Kishunganj Sub Division
4.	Sri Aviram Trivedi, Senior Deputy Collector, Madhepura	Madhepura Sub Division

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

6 दिसम्बर 2020

सं0 258 नि0:––श्री सुनील कुमार–3, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मसौढ़ी अनुमंडल में जो कि पटना न्यायमंडल के अधीन है के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 6th December 2020

No. 258 A :--Sri Sunil Kumar-III, Additional District and Sessions Judge, Patna is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge at Sub Divisional Court, Masaurhi under the Judgeship of Patna.

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

20 दिसम्बर 2020

सं0 261 नि0 :––निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1.	श्री विपुल सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना (पटना)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) कटिहार स) कटिहार
2.	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना (पटना)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) भभुआ स) कैमुर
3.	श्री अजीत कुमार मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़ (पटना)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) गया स) गया
4.	श्री प्रणव शंकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर निदेशक, बिहार ज्युडिसियल एकाडमी, गायघाट, पटना।	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) औरंगाबाद स) औरंगाबाद

5.	श्री राजीव नयन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना (पटना)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) मुंगेर स) मुंगेर
6.	श्री रवि रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) सहरसा स) सहरसा
7.	श्री रेशमा वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर (पटना)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) सीतामढ़ी स) सीतामढ़ी
8.	श्री कुमार माधवेन्द्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़ (पटना)	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) मधेपुरा स) मधेपुरा
9.	श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) जमुई स) जमुई
10.	श्री रणविजय कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, निबंधक, बिहार अचल संपति अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।	अ) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ब) सुपौल स) सुपौल

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 20th December 2020

No. 261A :---The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	**Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.**	**(a) Designation at the new station** **(b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at** **(c) Name of the Judgeship in which posted on transfer**
1.	**2.**	**3.**
1.	Sri Vipul Sinha A.D.J., Patna (Patna)	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Katihar (c) Katihar
2.	Sri Anjani Kumar Srivastava A.D.J., Patna (Patna)	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Bhabhua (c) Kaimur
3.	Sri Ajit Kumar Mishra A.D.J., Barh (Patna)	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Gaya (c) Gaya
4.	Sri Pranaw Shankar, A.D.J., Additional Director, Bihar Judicial Academy, Gaighat, Patna.	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Aurangabad (c) Aurangabad

5.	Sri Rajeev Nayan A.D.J., Patna (Patna)	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Munger (c) Munger
6.	Sri Ravi Ranjan, A.D.J., Joint Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna.	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Saharsa (c) Saharsa
7.	Sri Reshma Verma, A.D.J., Danapur (Patna)	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Sitamarhi (c) Sitamarhi
8.	Sri Kumar Madhvendra A.D.J., Barh (Patna)	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Madhepura (c) Madhepura
9.	Sri Lakshmi Kant Mishra A.D.J., Motihari (East Champaran)	(a) Additional District and Sessions Judge (b) Jamui (c) Jamui
10.	Sri Ranvijay Kumar, A.D.J., Registrar, Real Estate Appellate Tribunal, Bihar, Patna.	(a) Secretary, District Legal Services Authority (b) Supaul (c) Supaul

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

20 दिसम्बर 2020

सं0 262 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगें पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, स्तंभ–3 में अंकित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)**	**अ) नये स्थान का पदनाम** **ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान** **स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	श्री रत्नेशवर कुमार सिंह अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) औरंगाबाद (स) औरंगाबाद
2.	रशमी प्रसाद, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना सिटी (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) भभुआ (स) कैमूर

3.	श्री ब्रिजेश मणि त्रिपाठी, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सासाराम (स) रोहतास
4.	श्री अमित कुमार, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) गोपालगंज (स) गोपालगंज
5.	निहारिका, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना सिटी (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सिवान (स) सिवान
6.	श्री कृष्ण गोपाल, अवर न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में निबंधक, बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बेनीपुर (स) दरभंगा
7.	इन्द्राणी किसकु, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) गोपालगंज (स) गोपालगंज
8.	क्षुप्रचला अंजली, अवर न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बक्सर (स) बक्सर
9.	सीमा कुमारी, अवर न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में सहायक निदेशक (आर एवं टी), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बक्सर (स) बक्सर
10.	श्री हर्षबर्द्धन, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना सिटी (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सिवान (स) सिवान
11.	श्री संदीप कुमार, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) भभुआ (स) कैमूर
12.	सारिका वहालिया, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सिवान (स) सिवान
13.	श्री अमित आनंद, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बेनीपुर (स) दरभंगा
14.	श्री अरूण तिवारी, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सिवान (स) सिवान
15.	दिव्या मिता, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना सिटी (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) गोपालगंज (स) गोपालगंज

16.	श्री शंभु दास, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पालीगंज (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) सिवान (स) सिवान
17.	श्री मनोज कुमार VII, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) भभुआ (स) कैमूर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 20th December 2020

No. 262 A :---The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officers named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	**Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)**	**(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred**
1	**2**	**3**
1.	Sri Ratneshwar Kumar Singh Sub Judge -cum- A.C.J.M., Patna (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Aurangabad c) Aurangabad
2.	Ms Rashmi Prasad Sub Judge -cum- A.C.J.M., Patna City (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Bhabhua c) Kaimur
3.	Sri Brijesh Mani Tripathi Sub Judge -cum- A.C.J.M., Danapur (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Sasaram c) Rohtas
4.	Sri Amit Kumar Sub Judge -cum- A.C.J.M., Danapur (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Gopalganj c) Gopalganj
5.	Ms. Niharika Sub Judge -cum- A.C.J.M., Patna City (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Siwan c) Siwan
6.	Sri Krishna Gopal Civil Judge (Senior Division), presently posted as Registrar, Bihar State Legal Services Authority, Patna (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Benipur c) Darbhanga

7.	Ms. Indrani Kisku Sub Judge -cum- A.C.J.M., Barh (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Gopalganj c) Gopalganj
8.	Ms. Kshiprachala Anjalee Civil Judge (Senior Division), presently posted as Administrative Officer, Bihar Judicial Academy, Patna (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Buxar c) Buxar
9.	Ms. Seema Kumari Civil Judge (Senior Division), presently posted as Assistant Director (R&T) Bihar Judicial Academy, Patna (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Buxar c) Buxar
10.	Sri Harshbardhan Sub Judge -cum- A.C.J.M., Patna City (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Siwan c) Siwan
11.	Sri Sandeep Kumar Sub Judge -cum- A.C.J.M., Danapur (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Bhabhua c) Kaimur
12.	Ms. Sarika Vahalia Sub Judge -cum- A.C.J.M., Patna (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Siwan c) Siwan
13.	Sri Amit Anand Sub Judge -cum- A.C.J.M., Danapur (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Benipur c) Darbhanga
14.	Sri Arun Tiwari Sub Judge -cum- A.C.J.M., Barh (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Siwan c) Siwan
15.	Smt. Divya Mita Sub Judge -cum- A.C.J.M., Patna City (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Gopalganj c) Gopalganj
16.	Sri Shambhu Das Sub Judge -cum- A.C.J.M., Paliganj (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Siwan c) Siwan
17.	Sri Manoj Kumar Vii Sub Judge -cum- A.C.J.M., Barh (Patna)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Bhabhua c) Kaimur

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

20 दिसम्बर 2020

सं0 263 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ–4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	रितु कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) अररिया स) अररिया	अररिया
2.	सुप्रिया गोस्वामी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) अररिया स) अररिया	अररिया
3.	माध्वी सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) औरंगाबाद स) औरंगाबाद	औरंगाबाद
4.	नूतन कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, दानापुर (पटना)।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) गया स) गया	गया
5.	प्रिया शेखर, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), वर्त्तमान में सहायक निबंधक, बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) गया स) गया	गया

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 20th December 2020

No. 263 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in Column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the Hon'ble High Court is pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in Column No. 4 of the table.

Sl. No.	**Name of the Officer with designation and present place of posting**	**(a) Designation at the new station** **(b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at.** **(c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.**	**Name of the District**
1.	**2.**	**3.**	**4.**
1.	Ms. Ritu Kumari, J.M. 1st Class, Patna.	(a) Judicial Magistrate (b) Araria (c) Araria	Araria

2.	Ms. Supriya Goswami, J.M. 1st Class, Patna.	(a) Judicial Magistrate (b) Araria (c) Araria	Araria
3.	Ms. Madhvi Singh, J.M. 1st Class, Patna.	(a) Judicial Magistrate (b) Aurangabad (c) Aurangabad	Aurangabad
4.	Ms. Nutan Kumari, J.M. 1st Class-cum-Addl. Munsif, Danapur Patna.	(a) Judicial Magistrate (b) Gaya (c) Gaya	Gaya
5.	Ms. Priya Shekhar, Civil Judge (Junior Division), presently posted as Assistant Registrar, B.S.L.S.A., Patna.	(a) Judicial Magistrate (b) Gaya (c) Gaya	Gaya

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

4 जनवरी 2021

सं0 2 नि0:––श्री संतोष कुमार, तत्कालीन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय, सम्प्रति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ (नालन्दा) की जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी भर्ती परीक्षा–2016 के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में बिहार राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–**12094 दिनांक 17.12.2020 के** आलोक में श्री संतोष कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से उनके मूल पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), बिहारशरीफ के पद पर वापस किया जाता है एवं उनको, जिन्हें नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ–2 में नामित किया गया है, उसी तालिका के स्तम्भ–3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान, जहॉ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, पर अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ–3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)**	**अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	श्री संतोष कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ (नालन्दा)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बिहारशरीफ (स) नालन्दा

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 4th January 2021

No. 2 A:--In light of the Notification No.12094 dated 17.12.2020 issued by the General Administration Department of the State Government of Bihar regarding cancellation of candidature of Sri Santosh Kumar, the then Additional District & Sessions Judge, Begusarai, presently posted as such at Biharsharif (Nalanda), under the District Judge (Entry Level) Direct from Bar Exam-2016, Sri Santosh Kumar, named in column no.2 of the table given below, is hereby reverted to his original post of Civil Judge (Senior Division) and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court is pleased to

confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	**Name of the officer, designation and present place of posting (with Judgeship)**	**(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred**
1.	**2.**	**3.**
1.	Sri Santosh Kumar Additional District & Sessions Judge, Biharsharif (Nalanda)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Biharsharif c) Nalanda

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

7 जनवरी 2021

सं0 03 नि0 :––निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।**	**अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।**
1.	श्री त्रिलोकी दुबे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झंझारपुर (मधुबनी)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) पटना स) पटना
2.	श्री शत्रुधन सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांका (बांका)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बाढ़ स) पटना
3.	श्री रवि रंजन मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल (सुपौल)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बाढ़ स) पटना
4.	श्री सत्यनारायण शिवहरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) दानापुर स) पटना
5.	श्री कमला प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बगहा (पश्चिमी चम्पारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब) पटना स) पटना
6.	श्री राकेश कुमार तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी (मधुबनी)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) पटना स) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 7th January 2021

No. 03 A :--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
1.	Sri Triloki Dubey A.D.J., Jhanjharpur (Madhubani)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
2.	Sri Shatrughan Singh A.D.J., Banka (Banka)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Barh (c) Patna
3.	Sri Ravi Ranjan Mishra A.D.J., Supaul (Supaul)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Barh (c) Patna
4.	Sri Satyanarayan Sheohare A.D.J., Bettiah (West Champaran)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Danapur (c) Patna
5.	Sri Kamla Prasad A.D.J., Bagha (West Champaran)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna
6.	Sri Rakesh Kumar Tiwary A.D.J., Madhubani (Madhubani)	(a) Additional District & Sessions Judge (b) Patna (c) Patna

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

7 जनवरी 2021

सं0 04 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ–3 में क्रमशः उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ–3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।
1.	श्री विवेक राय अवर न्यायाधीश–सह–मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल (सुपौल)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बक्सर (स) बक्सर
2.	श्री संतोष कुमार झा अवर न्यायाधीश I–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार (कटिहार)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पालीगंज (स) पटना

3.	श्री दीपक कुमार–II अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपुर (दरभंगा)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दरभंगा (स) दरभंगा
4.	श्री मो0 फिरोज अकरम, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपुर (दरभंगा)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दरभंगा (स) दरभंगा
5.	श्री अमित कुमार तिवारी अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी (मधुबनी)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना (स) पटना
6.	श्री मिथिलेश कुमार अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बांका (बांका)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बाढ़ (स) पटना
7.	श्री राकेश कुमार यादव अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, झंझारपुर (मधुबनी)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना सिटी (स) पटना
8.	श्री अमलेश कुमार सिंह अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा (पश्चिमी चम्पारण)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना (स) पटना
9.	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णियॉ (पूर्णियॉ)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दानापुर (स) पटना
10.	श्री प्रह्लाद कुमार अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल (सुपौल)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दानापुर (स) पटना
11.	श्री मनीष कुमार जायसवाल अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वयसी (पूर्णियॉ)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना सिटी (स) पटना
12.	श्री पंकज पाण्डेय अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दानापुर (स) पटना
13.	श्री अभिषेक कुमार मिश्रा अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, किशनगंज (किशनगंज)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) दानापुर (स) पटना
14.	श्री लाल बहादुर प्रसाद अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बीरपुर (सुपौल)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) पटना सिटी (स) पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 7th January 2021

No. 04 A :---The Judicial officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned against their name in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officers named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	**Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)**	**(a) Designation at the new station** **(b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily.** **(c) Name of the Judgeship/place in which appointed on promotion.**
1.	**2.**	**3.**
1.	Sri Vivek Rai Sub Judge-cum-C.J.M., Supaul (Supaul)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Buxar c) Buxar
2.	Sri Santosh Kumar Jha Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Katihar (Katihar)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Paliganj c) Patna
3.	Sri Deepak Kumar-II Sub Judge-cum-A.C.J.M., Benipur (Darbhanga)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Darbhanga c) Darbhanga
4.	Sri Md. Firoz Akram Sub Judge-cum-A.C.J.M., Benipur (Darbhanga)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Darbhanga c) Darbhanga
5.	Sri Amit Kumar Tiwari Sub Judge-cum-A.C.J.M., Benipatti (Madhubani)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna
6.	Sri Mithilesh Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Banka (Banka)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Barh c) Patna
7.	Sri Rakesh Kumar Yadav Sub Judge-cum-A.C.J.M., Jhanjharpur (Madhubani)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna City c) Patna
8.	Sri Amlesh Kumar Singh Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bagaha (West Champaran)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna c) Patna
9.	Sri Navin Kumar Srivastava Sub Judge-cum-A.C.J.M., Purnea (Purnea)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Danapur c) Patna
10.	Sri Prahlad Kumar Sub Judge-cum-A.C.J.M., Supaul (Supaul)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Danapur c) Patna
11.	Sri Manish Kumar Jaiswal Sub Judge-cum-A.C.J.M., Baisi (Purnea)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna City c) Patna

12.	Sri Pankaj Pandey Sub Judge-cum-A.C.J.M., Bettiah (West Champaran)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Danapur c) Patna
13.	Sri Abhishek Kumar Mishra Sub Judge-cum-A.C.J.M., Kishanganj (Kishanganj)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Danapur c) Patna
14.	Sri Lal Bahadur Prasad Sub Judge-cum-A.C.J.M., Birpur (Supaul)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Patna City c) Patna

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

7 जनवरी 2021

सं0 05 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ–3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ–4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	**पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान**	**अ) नए स्थान पर पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किए गये हैं।**	**जिला का नाम**
1	**2**	**3**	**4**
1.	श्री आदित्य कुमार सिंह मुंसिफ–सह–न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बारसोई	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना
2.	श्री अरबिंद कुमार सिंह मुंसिफ–सह–न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, धमदाहा	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना
3.	श्री अरविन्द कुमार दास मुंसिफ–सह–न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, किशनगंज	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) पटना स) पटना	पटना
4.	श्री रोहित कुमार II मुंसिफ–सह–न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पूर्णियॉ	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) दानापुर स) पटना	पटना
5.	हेमा कुमारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, हाजीपुर	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) डेहरी स) रोहतास	रोहतास

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 7th January 2021

No. 05 A :--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships to be stationed ordinarily mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Name of the District
1	2	3	4
01.	Sri Aditya Kumar Singh Munsif-cum-J.M.1st Class, Barsoi	a) Judicial Magistrate b) Patna c) Patna	Patna
02.	Sri Arvind Kumar Singh Munsif-cum-J.M.1st Class, Dhamdaha	a) Judicial Magistrate b) Patna c) Patna	Patna
03.	Sri Arvind Kumar Das Munsif-cum-J.M.1st Class, Kishanganj	a) Judicial Magistrate b) Patna c) Patna	Patna
04.	Sri Rohit Kumar II J.M.1st-cum-Addl. Munsif, Purnea	a) Judicial Magistrate b) Danapur c) Patna	Patna
05.	Ms. Hema Kumari J.M. 1st Class, Hajipur	a) Judicial Magistrate b) Dehri c) Rohtas	Rohtas

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

7 जनवरी 2021

सं0 06 नि0:––बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या– 7/स्था0–04–18/2019 सा0प्र0 11697 दिनांक 10.12.2020 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्ति को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थान
1.	शिखा शर्मा	मुजफ्फरपुर

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 7th January 2021

No. 06 A:--The person named in column no. 2 of the table given below who has been appointed on probation as Civil Judge (Junior Division) under notification no. 7/Stha-04-18/2019 Sa. Pra. 11697 dated 10.12.2020 of the Department of General Administration, Government of Bihar, Patna is posted as temporary Civil Judge (Junior Division) at the station mentioned in column no. 3 of the table against her name.

Sl. No.	Name of the Officer	Place of posting
1.	2.	3.
1.	Ms. Shikha Sharma	Muzaffarpur

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

13 जनवरी 2021

संं0 28 नि० :––अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री बजरंग कुमार चौधरी, सब जज–सह–ए0सी0जे0एम0, बांका की सेवायें, निबंधक, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतू राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होंगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 13th January 2021

No. 28 A:--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Bajrang Kumar Choudhary, Sub Judge-cum-ACJM, Banka are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Govt. of Bihar, Patna for his appointment as Registrar, Bihar Land Tribunal, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

13 जनवरी 2021

संं0 29 नि0:––निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को स्थानांतरित करते हुए, उसी तालिका के स्तम्भ–3 में उनके नाम के सामने उल्लिखित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे, अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

पुनः, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय स्तंभ–3 में नामित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)**	**अ) नये स्थान पर पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ स्थानांतरण के उपरांत नियुक्त किये जाते हैं।**
1.	श्री सर्वेश कुमार मिश्रा अवर न्यायाधीश–सह–अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)	(अ) अवर न्यायाधीश–सह– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (ब) बांका (स) बांका

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 13th January 2021

No. 29 A :--The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Senior Division), named in column no. 2 of the table given below is transferred and posted as Sub Judge-cum-A.C.J.M. in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are

pleased to confer upon the Officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which transferred
1.	2.	3.
1.	Sri Sarvesh Kumar Mishra Sub Judge-cum-A.C.J.M., Motihari (East Champaran)	a) Sub Judge-cum-A.C.J.M. b) Banka c) Banka

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

17 जनवरी 2021

सं0 31 नि0:––उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या–05 नि0 दिनांक 07.01.2021, जो ज्ञापांक संख्या 1137–1157 दिनांक 07.01.2021 से निर्गत किया गया था, में क्रम सं0–4 पर अंकित, श्री रोहित कुमार II, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, पूर्णियॉ जिनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दानापुर के रूप में किया गया था एतद द्वारा वापस लिया जाता है। श्री रोहित कुमार II, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–सह–अपर मुंसिफ, पूर्णियॉ के रूप में कार्य करते रहेंगे।

उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या– 05 नि0 दिनांक 07.01.2021 को उपर्युक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 17th January 2021

No. 31 A :--In Court's notification no. 05A dated 07.01.2021 issued under Court's memo no. 1137-1157 dated 07.01.2021, the transfer and posting of Sri Rohit Kumar II, J.M. 1st Class-cum-A.M., Purnea as J.M. 1st Class, Danapur at serial no. 04 is hereby recalled. Sri Rohit Kumar II will continue to work as J.M. 1st Class-cum-A.M. at Purnea.

Court's notification no. 05A dated 07.01.2021 stands modified to the extent as above.

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

22 जनवरी 2021

सं0 38 नि0:––उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–II में उल्लिखित पदाधिकारी को उनके नाम के समक्ष स्तंभ– III में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं0– 1806/जे. दिनांक 13.04.1992 तथा 1604/जे. दिनांक 21.04.1999 में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपुर्द करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

इन्हें अपने–अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

इन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं0 में उल्लिखित आर्थिक अपराधों से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु स्थापित विशेष न्यायालयों, जिसका क्षेत्राधिकार स्तंभ– III में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ–IV, में उल्लिखित है, के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	क्षेत्राधिकार	मुख्यालय
I	II	III	IV
1.	श्री अभिषेक रंजन, अवर न्यायाधीश-I–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना	पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई एवं खगड़िया	पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 22nd January 2021

No. 38 A :--The High Court have been pleased to confer upon the officer named in column no. II of the table given below, the powers for trial or to commit for trial of cases with respect to offences under the acts as mentioned in law Department memo Nos. 1806/J. Dated 13.04.1992 and 1604/J. Dated 21.04.1999 for the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column No. III of the given table.

The Court are further pleased to confer upon the officers named in column no. II, powers to take cognizance of such cases, as they have been authorized to try.

The officer is also appointed to act as Presiding Officer of Special Court established with headquarters as mentioned in column no. IV of the table, having Jurisdiction as mentioned in column no. III, for trial of cases relating to Economic Offences under the Acts mentioned in the Law Department's aforesaid memos.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and place of posting	Territorial Jurisdiction	Headquarter of the Court
I	II	III	IV
1.	Sri Abhishek Ranjan, Sub Judge I-cum- A.C.J.M., Patna	Patna, Nalanda, Rohtas, Bhabhua, Bhojpur, Buxar, Gaya, Jehanabad, Aurangabad, Nawadah, Bhagalpur, Banka, Munger, Jamui and Khagaria	Patna

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

30 जनवरी 2021

सं0 60 A नि0:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री जावेद आलम, सहायक प्रोग्राम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना, किशनगंज	किशनगंज अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 30th January 2021

No. 60 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	Name of Officer with designation and place of posting	Jurisdiction for which Powers are vested
1	2	3
1.	Sri Javed Aalam, Assistant programme Officer, Bihar Education Project, Kishanganj	Kishanganj Sub division

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

30 जनवरी 2021

संo 64 A नि0:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं	क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं
1.	2.	3.
1.	श्री राकेश गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा।	दरभंगा सदर अनुमण्डल क्षेत्र

2.	श्री शादुल हसन खाँ, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, दरभंगा।	दरभंगा सदर अनुमण्डल क्षेत्र
3.	श्रीमति नैना, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा।	दरभंगा सदर अनुमण्डल क्षेत्र
4.	श्री प्रदीप कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
5.	श्री चन्दन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
6.	श्री मनोज कुमार पवन, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
7.	श्री विकास कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर।	बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
8.	श्री ब्रज किशोर लाल, अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल।	बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र
9.	श्री रवि प्रसाद चौहान, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल।	बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र
10.	मो0 नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिरौल।	बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 30th January 2021

No. 64 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	**Name of Officer with designation and place of posting**	**Jurisdiction for which Powers are vested**
1	**2**	**3**
1.	Sri Rakesh Gupta, S.D.O., Darbhanga Sadar	Darbhanga Sadar Sub division
2.	Sri Sardul Hasan Khan, D.C.L.R., Darbhanga Sadar	Darbhanga Sadar Sub division

3.	Smt. Naina, Additional S.D.O., Darbhanga Sadar	Darbhanga Sadar Sub division
4.	Sri Pradeep Kumar Jha, S.D.O., Benipur	Benipur Sub division
5.	Sri Chandan Kumar, D.C.L.R., Benipur	Benipur Sub division
6.	Sri Manoj Kumar Pawan, Sub Divisional Public Grievance Redressal Officer, Benipur	Benipur Sub division
7.	Sri Vikash Kumar, Additional S.D.O., Benipur	Benipur Sub division
8.	Sri Braj Kishore Lal, S.D.O., Biraul	Benipur Sub division
9.	Sri Ravi Prasad Chawan, D.C.L.R., Biraul	Benipur Sub division
10.	Sri Md. Nadimul Gaffar Sidqui, Sub Divisional Public Grievance Redressal Officer, Biraul	Benipur Sub division

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

30 जनवरी 2021

सं0 65 नि0:––दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) (अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ–2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है।

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं**	**क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं**
1.	**2.**	**3.**
1.	श्री सोमनाथ सिंह, (बि0प्र0से0) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर।	समस्तीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
2.	श्री अनुग्रह नारायण सिंह, (बि0प्र0से0) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	समस्तीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
3.	श्री संजीव कुमार, (बि0प्र0से0) अपर अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर।	समस्तीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
4.	श्री अरूण कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर।	समस्तीपुर अनुमण्डल क्षेत्र
5.	श्री ब्रजेश कुमार, (बि0प्र0से0) अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा।	रोसड़ा अनुमण्डल क्षेत्र

6.	श्री जयचन्द्र यादव, (बि0प्र0से0) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रोसड़ा।	रोसड़ा अनुमण्डल क्षेत्र
7.	श्री अमरनाथ गुप्ता, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रोसड़ा।	रोसड़ा अनुमण्डल क्षेत्र
8.	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, (बि0प्र0से0) अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय।	दलसिंहसराय अनुमण्डल क्षेत्र
9.	श्री आदित्य कुमार पीयूष, (बि0प्र0से0) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दलसिंहसराय।	दलसिंहसराय अनुमण्डल क्षेत्र
10.	श्री अनिल कुमार, (बि0प्र0से0) अपर अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय।	दलसिंहसराय अनुमण्डल क्षेत्र
11.	मो0 जफर आलम, (बि0प्र0से0) अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी।	पटोरी अनुमण्डल क्षेत्र
12.	श्री आनन्द कुमार, (बि0प्र0से0) अपर अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी।	पटोरी अनुमण्डल क्षेत्र

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 30th January 2021

No. 65 A :--In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) the executive Officers named in column no. 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure, 1973.

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction.

Sl. No.	**Name of Officer with designation and place of posting**	**Jurisdiction for which Powers are vested**
1	**2**	**3**
1.	Sri Somnath Singh, (B.A.S.), District Supply Officer, Samastipur	Samastipur Sub division
2.	Sri Sri Anugara Narayan Singh, (B.A.S.) District Panchayat Raj Officer, Samastipur	Samastipur Sub division
3.	Sri Sanjeev Kumar (B.A.S.), Additional S.D.O., Samastipur	Samastipur Sub division
4.	Sri Arun Kumar, Executive Magistrate, Samastipur	Samastipur Sub division

5.	Sri Brajesh Kumar, (B.A.S.) S.D.O., Rosera	Rosera Sub division
6.	Sri Jaichandra Yadav, (B.A.S.) D.C.L.R., Rosera	Rosera Sub division
7.	Sri Amarnath Gupta, Executive Magistrate, Rosera	Rosera Sub division
8.	Sri Gyandra Kumar, (B.A.S.) S.D.O., Dalsinsarai	Dalsinsarai Sub division
9.	Sri Aaditya Kumar Piyush, (B.A.S.) D.C.L.R., Dalsinsarai	Dalsinsarai Sub division
10.	Sri Anil Kumar, (B.A.S.) Additional S.D.O., Dalsinsarai	Dalsinsarai Sub division
11.	Md. Gafar Aalam, (B.A.S.) S.D.O., Patori	Patori Sub division
12.	Aanand Kumar, (B.A.S.) Additional S.D.O., Patori	Patori Sub division

By order of the High Court,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

30 जनवरी 2021

संo 61 निo:––विधि विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक संख्या बी./स्था. (एच. सी.)–6–25/2019/3202/जे. दिनांक 01.06.2020 के द्वारा संयुक्त निबंधक के नया सृजित पद के आलोक में माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री अनिल कुमार–III, श्री मेहता विजय कुमार, श्री जुगेश कुमार आनन्द, श्री निर्मल कुमार सिन्हा, श्री सरस्वतीनन्द कुमार, श्री संजय कुमार पाठक एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद सभी उप निबंधक पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–13 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 30th January 2021

No. 61 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Anil Kumar -III, Sri Mehta Vijay Kumar, Sri Jugesh Kumar Anand, Sri Nirmal Kumar Sinha, Sri Saraswati Nand Kumar, Sri Sanjay Kumar Pathak and Sri Surendra Prasad all Deputy Registrars, Patna High Court, Patna as Joint Registrar, Patna High Court, Patna in Level-13 of the revised pay structure with effect from the date they assume charge of their respective offices, in chain of vacancy occuring on account of retirement of Md. Tahir Hussain, Sri Anil Kumar Singh and Sri Ali Imam and newly created post of Joint Registrar as per letter no. B./Sth.(H.C)-6-25/2019/3202/J. dated 01.06.2020 of Law Department, Govt. of Bihar, Patna.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

30 जनवरी 2021

संo 62 निo:––सेवानिवृत सुश्री मीरा दत्ता एवं मो0 जमालउद्दीन खान एवं संयुक्त निबंधक के रूप में प्रोन्नत श्री अनिल कुमार–III, श्री मेहता विजय कुमार, श्री जुगेश कुमार आनंद, श्री निर्मल कुमार सिन्हा, श्री सरस्वती नन्द कुमार, श्री संजय कुमार पाठक एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद सभी उपनिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना एवं विधि विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक संख्या बी./स्था. (एच. सी.)–6–25/2019/3202/जे. दिनांक 01.06.2020 के द्वारा उपनिबंधक के नया सृजित पद के स्थान पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री दिलीप कुमार, श्री संजय कुमार, श्री बच्चा नाथ तिवारी, श्री दिलीप कुमार सिन्हा–II, श्री मो0 नकी अहमद वारशी, श्री संजय कुमार, श्री सुप्रिया कुमार, श्री अर्जुन कुमार, श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्रा, श्री अशोक कुमार सिन्हा–III, श्रीमति इला, श्री विश्वजीत कुमार घोषाल, श्री अरूण कुमार, डॉ0 सुधा

सिन्हा, श्रीमति उषा ओझा, श्री प्रवीण विल्सन हर्बट, श्री सतेन्द्र कुमार, श्री शशी शेखर प्रसाद सिंह एवं श्री जगदीश प्रसाद–III सभी सहायक निबंधक पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–12 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का उपनिबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 30th January 2021

No. 62 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Deelip Kumar, Sri Sanjay Kumar, Sri Bacha Nath Tiwary, Sri Dilip Kumar Sinha – II, Sri Md. Naqui Ahmad Warsi, Sri Sanjay Kumar, Sri Supriya Kumar, Sri Arjun Kumar, Sri Prafulla Kumar Mishra, Sri Ashok Kumar Sinha-III, Smt. Ila, Sri Bishwajit Kumar Ghosal, Sri Arun Kumar, Dr. Sudha Sinha, Smt. Usha Ojha, Sri Praveen Wilson Herbert, Sri Satyendra Kumar, Sri Shashi Shekhar Prasad Singh and Sri Jagdish Prasad-III all Assistant Registrars, Patna High Court, Patna as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Level-12 in the revised pay structure with effect from the date they assume charge of their respective offices, in chain of vacancy occuring on account of retirement of Ms. Meera Datta and Md. Jamaluddin Khan and promotion of Sri Anil Kumar –III, Sri Mehta Vijay Kumar, Sri Jugesh Kumar Anand, Sri Nirmal Kumar Sinha, Sri Saraswati Nand Kumar, Sri Sanjay Kumar Pathak and Sri Surendra Prasad all Deputy Registrars to the post of Joint Registrar as also on account of newly created post of Deputy Registrar as per letter no. B./Stha.(H.C)-6-25/2019/3202/J. dated 01.06.2020 of Law Department, Govt. of Bihar, Patna.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

30 जनवरी 2021

सं0 63 नि0:––विधि विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक संख्या बी./स्था. (एच.सी.)–6–01/2020/5098/जे. दिनांक 14.09.2020 के द्वारा संयुक्त निबंधक–सह–अपर प्रधान आप्त सचिव के नया सृजित पद के आलोक में माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री सुभमय पाल, श्री बिशेश्वर ठाकुर एवं श्री पी. सूर्या चन्द्रन, सभी वरीय सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–13 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक–सह–अपर प्रधान आप्त सचिव नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 30th January 2021

No. 63 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Subhamay Pal, Sri Bisheshwar Thakur and Sri P. Sooria Chandran all Senior Secretaries, Patna High Court, Patna as Joint Registrar-cum-Addl. P.P.S., Patna High Court, Patna in the Level-13 in the revised pay structure with effect from the date they assume charge of their respective offices, in the light of newly created post of Joint Registrar-cum-Addl. P.P.S. vide letter no. B./Sth.(H.C)-6-01/2020/5098/J. dated 14.09.2020 of Law Department, Govt. of Bihar, Patna.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

1 फरवरी 2021

सं0 67 नि0:––दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत श्री सुभमय पाल, संयुक्त निबंधक–सह–अपर प्रधान आप्त सचिव के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री प्रदीप कुमार, वरीय सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–13 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक–सह–अपर प्रधान आप्त सचिव नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 1st February 2021

No. 67A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Pradeep Kumar, Senior Secretary, Patna High Court, Patna as Joint Registrar-cum-Addl. P.P.S., Patna High Court, Patna in the Level-13 in the revised pay structure with effect from the date he assumes charge of his office, in chain of vacancy occuring on account of retirement of Sri Subhamay Pal, Joint Registrar-cum-Addl. P.P.S., Patna High Court, Patna on 31.01.2021.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

1 फरवरी 2021

सं0 68 नि0:––दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्रा एवं श्री अशोक कुमार सिन्हा III के स्थान पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा II एवं श्री विनोद कुमार दोनो सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–12 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का उपनिबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 1st February 2021

No. 68 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Rabindra Kumar Sinha II and Sri Vinod Kumar both Assistant Registrars, Patna High Court, Patna as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Level-12 in the revised pay structure with effect from the date they assume charge of their respective offices, in chain of vacancy occuring on account of retirement of Sri Prafulla Kumar Mishra and Sri Ashok Kumar Sinha-III, both Deputy Registrar, Patna High Court, Patna on 31.01.2021.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

4 फरवरी 2021

सं0 93 नि0:––उपनिबंधक के स्वीकृत 26 पदों में से 7 रिक्त पदों पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदशानुसार श्री जय कुमार सिंह, श्री मो0 असलम जावेद, श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, श्री मो0 अफाक अहमद, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री शम्भु पाण्डेय एवं श्री राम उदगार प्रसाद रजक सभी सहायक निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–12 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का उपनिबंधक नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 4th February 2021

No. 93A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint temporarily, on promotion, Sri Jai Kumar Singh, Sri Md. Aslam Jawed, Sri Sateesh Chandra Pandey, Sri Md. Afaque Ahmad, Sri Anil Kumar Singh, Sri Shambhoo Pandey and Sri Ram Udgar Prasad Razak, all Assistant Registrars, Patna High Court, Patna as Deputy Registrar, Patna High Court, Patna in the Level-12 in the revised pay structure with effect from the date they assume charge of their respective offices, in chain of 07 vacancies occuring to the post of Deputy Registrars, out of 26 sanctioned posts of Deputy Registrar.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

———

12 फरवरी 2021

सं0 121 नि0:––उप निबंधक–सह–वरीय सचिव के स्वीकृत 40 पदों में से 37 रिक्त पदों पर माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री शमशाद अहमद, श्री मो0 इनामूल हक, श्री सुनील कुमार तिवारी, श्री जहांगीर आलम, श्री

हसीबूर रहमान, श्री संजय प्रसाद, श्री पवन कुमार, श्री बिम्लानशु कुमार सिंह, श्री उपेन्द्र कुमार, श्री शशी भुषण, श्री बासूदेव तिवारी, श्री मुन्द्रिका चौहान, श्री मो0 परवेज आलम, श्री प्रदीप श्रीवास्तव, श्री अविनाश कुमार सिन्हा, श्री मनीष चन्द्र वर्मा, श्री शशीकान्त मिश्रा, श्री कृष्ण चन्द्र झा, श्री प्रवीण कुमार पाठक, श्री पंकज कुमार, श्री प्रभाकर आनन्द, श्री नरेन्द्र कुमार, श्री जगदीश प्रसाद रेवानी, श्री बिशम्भर कुमार पाण्डेय, श्री अजीत कुमार वत्स, श्री सैयद सरवर अली, श्री कुन्दन शर्मा, श्री राजेश कुमार, श्री हरिश कुमार सिंह, श्री महेश कुमार चौधरी, श्री सौरव कुमार, श्री कंचन कुमार सिंह, श्री उदय शंकर प्रसाद, श्री रविन्द्र कुमार त्रिवेदी, श्री परमानंद कुमार एवं श्री महेश कुमार राय सभी सचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से पुनरीक्षित वेतन संरचना के लेवल–12 में पटना उच्च न्यायालय, पटना का उपनिबंधक–सह–वरीय सचिव नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 12th February 2021

No. 121 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to promote temporarily, Sri Shamshad Ahmad, Sri Md. Enamul Haque, Sri Sunil Kumar Tiwari, Sri Jahangir Alam, Sri Hasibur Rahman, Sri Sanjay Prasad, Sri Pawan Kumar, Sri Bimlanshu Kumar Singh, Sri Upendra Kumar, Sri Shashi Bhushan, Sri Basudeo Tiwari, Sri Mundrika Chauhan, Sri Md. Parwez Alam, Sri Pradeep Srivastava, Sri Avinash Kumar Sinha, Sri Manish Chandra Verma, Sri Shashi Kant Mishra, Sri Krishna Chandra Jha, Sri Praveen Kumar Pathak, Sri Pankaj Kumar, Sri Prabhakar Anand, Sri Narendra Kumar, Sri Jagdish Prasad Rewani, Sri Vishawambhar Kumar Pandey, Sri Ajit Kumar Vats, Sri Syed Sarwar Ali, Sri Kundan Sharma, Sri Rajesh Kumar, Sri Harish Kumar Singh, Sri Mahesh Kumar Chaudhary, Sri Saurabh Kumar, Sri Kanchan Kumar Singh, Sri Uday Shankar Prasad, Sri Rabindra Kumar Trivedi, Sri Parmanand Kumar and Sri Mahesh Kumar Roy all Secretaries, Patna High Court, Patna as Deputy Registrar-cum-Senior Secretary, Patna High Court, Patna in the Level-12 in the revised pay structure with effect from the date they assume charge of their respective offices on the 37 available post of Deputy Registrar-cum-Senior Secretary out of total 40 sanctioned posts.

By order of the Hon'ble the Chief Justice,
N.K. Pandey, **Registrar General.**

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
13 अप्रील 2021

सं0 1/पी–1001/2020–सा0प्र0–4894––राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण पी0एम0सी0एच0, पटना, एन0एम0सी0एच0, पटना तथा एम्स, पटना में निम्नांकित पदाधिकारियों को आदेश निर्गमन की तिथि से एक सप्ताह के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है:–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार	प्रतिनियुक्ति स्थान
1	श्री राजीव रौशन(2010)	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना
2	श्री राज कुमार (2010)	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, निःशक्तता)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
3	श्री पंकज दीक्षित (2011)	निदेशक तकनीकी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना

2. संबंधित अस्पतालों/संस्थान में प्रतिनियुक्त कंडिका–01 के सभी पदाधिकारी, अपने वर्तमान दायित्वों/प्रभारों का भी निर्वहन करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

13 अप्रील 2021

सं0 1/ अ0–1010/2017–सा0प्र0–**4916**––श्री अंशुल कुमार, भा0प्र0से0 (2016), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक–18.04.2021 से 02.05.2021 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री अशुंल कुमार की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद–उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रभार में श्री बालमुकुन्द प्रसाद, बि0प्र0से0, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व–नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

15 अप्रील 2021

सं0 **1/पी0–1001/2020–सा0प्र0–5005**––श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2003), सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–सचिव, संसाधन, वित्त विभाग) दिनांक 30.04.2021 तक विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

19 अप्रील 2021

सं0 **1/पी0–23/2011–सा0 प्र0–5077**––श्री राजेश कुमार, आई0आर0पी0एस0 (1998), संयुक्त निदेशक, बिपार्ड, पटना को उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त रेल मंत्राालय, भारत सरकार से समन्वय के निमित्त अगले आदेश तक पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

19 अप्रील 2021

सं0 **1/पी0–1004/2021 –सा0प्र0–5081**––श्री कँवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना) अगले आदेश तक अपर सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

22 अप्रील 2021

सं0 **1/अ0–1016/2016(खंड)–सा0प्र0–5100**––श्री प्रशांत कुमार सी0 एच0, भा0प्र0से0 (2015), जिला पदाधिकारी, अररिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 08.05.2021 से 01.06.2021 तक कुल 25 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी0 एच0 की अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद–जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रभार में श्री अनिल कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, अररिया रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

22 अप्रील 2021

सं0 **1/अ0–1002/2016–सा0प्र0–5101**––श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0(2013), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक–05.05.2021 से 13.05.2021 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शर्मा को आलोच्य छुट्टी की दिनांक 06.05.2021 से 15.05.2021 तक की अवधि का संयुक्त अरब अमीरात (यू. ए. ई.) की विदेश यात्राा हेतु एक्स–इंडिया लीव के रूप में उपभोग करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

25 अप्रील 2021

सं0 **1/पी0–1001/2020–सा0प्र0–प्र0स0को0–05**––श्री कुमार रवि, भा0प्र0से0(2005), सचिव, भवन निर्माण विभाग अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
चंचल कुमार, प्रधान सचिव।

---

30 अप्रील 2021

सं0 1/पी0–1001/2020–सा0प्र0–5199––विभागीय अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2020–सा0प्र0–5005 दिनांक 15.04.2021 द्वारा श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2003), सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना) को दिनांक 30.04.2021 तक के लिए प्रदत्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार की अवधि दिनांक 31.05.2021 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

---

30 अप्रील 2021

सं0 **1/पी–1001/2020–सा0प्र0**–5200––राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण पी0एम0सी0एच0, पटना, एन0एम0सी0एच0, पटना तथा एम्स, पटना में निम्नांकित पदाधिकारियों को आदेश निर्गमन की तिथि से दिनांक 31.05.2021 तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता हैः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार	प्रतिनियुक्ति स्थान
1	श्री राजीव रौशन(2010)	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना
2	श्री राज कुमार (2010)	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, निःशक्तता)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
3	श्री पंकज दीक्षित (2011)	निदेशक तकनीकी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना

2. संबंधित अस्पतालों/संस्थान में प्रतिनियुक्त कंडिका–01 के सभी पदाधिकारी, अपने वर्तमान दायित्वों/प्रभारों का भी निर्वहन करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

---

1 मई 2021

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5203**––श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0(1985), अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य सचिव, बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5204**––श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(1986), मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5205**––श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (1988), मुख्य परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना (अतिरिक्त प्रभार–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5206**––श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0(1989), आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती किनी अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5207**––श्री मिहिर कुमार सिंह, भा0प्र0से0(1993), प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5208**––श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (2000), सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मीणा अगले आदेश तक आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5209**––श्री मनीष कुमार, भा0प्र0से0 (2005), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार–आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

---

4 मई 2021

सं0 **1/अ0–1006/2017–सा0प्र0–5230**––श्री अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0 (टी आरः 2006), जिला समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, गया (अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, गया) की दिनांक 10.04.2021 को समाप्त हो रही बिहार संवर्ग की वर्तमान अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति के फलस्वरुप, उनके द्वारा समर्पित उपार्जित अवकाश के आवेदन के आलोक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.05.1987 तथा भारत सरकार के तत्संबंधी परिपत्रा दिनांक 09.02.2018 के तहत उन्हें दिनांक 11.04.2021 से 09.06.2021 तक दो माह के उपार्जित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री सुमन कुमार, बि0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, गया अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, गया के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

---

12 मई 2021

सं0 **1/सी0–1002/2021–सा0प्र0–5253**––श्री प्रत्यय अमृत, भा0प्र0से0 (बी एचः 1991), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को शीर्ष वेतनमान (स्तर–17–₹2,25,000/– नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अपर मुख्य सचिव के रुप में पदनामित किया जाता है।

2. श्री प्रत्यय अमृत द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित वर्तमान मूल पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

---

25 मई 2021

सं0 **1/अ0–1006/2017–सा0प्र0–5366**––श्री प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0 (एम एनः 2006), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या–1/अ0–1010/2016–सा0प्र0–5327 दिनांक 19.05.2021 द्वारा दिनांक 12.05.2021 से 26.05.2021 तक कुल 15 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनके द्वारा धारित पद का अतिरिक्त प्रभार–श्री कुमार रवि, भा0प्र0से0(2005), सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया था।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 24.05.2021 के माध्यम से श्री झा की बिहार संवर्ग की अंतःसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति को दिनांक 11.05.2021 के उपरांत आगामी छः माह के लिए विस्तारित किये जाने के आलोक में श्री झा द्वारा दिनांक 25.05.2021 को प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना का प्रभार ग्रहण कर लिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 25.05.2021 एवं 26.05.2021 की अवधि के शेष बचे उपार्जित अवकाश को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

---

31 मई 2021

सं0 **1/पी0–1001/2020–सा0प्र0–5398**––विभागीय अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2020–सा0प्र0–5199 दिनांक 30.04.2021 द्वारा श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(2003), सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना) को दिनांक 31.05.2021 तक के लिए प्रदत्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार की अवधि दिनांक 30.06.2021 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

31 मई 2021

सं0 **1/पी–1001/2020–सा0प्र0–5399**––विभागीय अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/ 2020–सा0प्र0–5200 दिनांक 30.04.2021 द्वारा पी0एम0सी0एच0, पटना, एन0एम0सी0एच0, पटना तथा एम्स, पटना में निम्नांकित भा0प्र0से0 पदाधिकारियों की दिनांक 31.05.2021 तक की गयी प्रतिनियुक्ति को दिनांक 30.06.2021 तक विस्तारित किया जाता हैः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/ अतिरिक्त प्रभार	प्रतिनियुक्ति स्थान
1	श्री राजीव रौशन(2010)	अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार –अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना
2	श्री राज कुमार (2010)	निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, निःशक्तता)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
3	श्री पंकज दीक्षित (2011)	निदेशक तकनीकी, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, पटना

2. संबंधित अस्पतालों/संस्थान में प्रतिनियुक्त कंडिका–01 के सभी पदाधिकारी, अपने वर्तमान दायित्वों/प्रभारों का भी निर्वहन करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

4 जून 2021

सं0 **1/सी0–1002/2021–सा0प्र0–5496**––श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0 (बीएचः1991), अपर सचिव–सह–वित्तीय परामर्शी, गृह मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम– 8(5) के तहत शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर, वेतनमान–लेवल–17–₹2,25,000/–नियत) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

17 जून 2021

सं0 **1/पी–1001/2020–सा0प्र0–5822**––श्रीमती विजयलक्ष्मी एन0, भा0प्र0से0 (1995), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 **1/पी–1001/2020–सा0प्र0–5823**––श्री एन0 सरवन कुमार, भा0प्र0से0 (2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, गन्ना उद्योग, विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे और सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

सं0 **1/पी–1001/2020–सा0प्र0–5824**––श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (2003), सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0 (1989) –(वर्तमान अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना) अपर मुख्य सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना और श्री रवि मनुभाई परमार, भा0प्र0से0 (92)– (वर्तमान प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

———

17 जून 2021

सं0 1/अ0–14/2012(खण्ड)–सा0प्र0–**5855**––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1/अ0–14/2012(खण्ड)–सा0प्र0–4375 दिनांक 01.04.2021 द्वारा श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर वैयक्तिक कार्य के लिए विदेश यात्राा (संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा) हेतु एक्स–इंडिया लीव के रुप में दिनांक 14.06.2021 से 23.06.2021 तक कुल 10 दिनों का उपार्जित छुट्टी प्रदान करते हुए उक्त अवधि में उनके

द्वारा धारित पद/कार्य का अतिरिक्त प्रभार श्री अरविन्द कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (95), प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद्, पटना) को सौपा गया था।

2. श्री प्रसाद से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत आलोच्य एक्स–इंडिया लीव को दिनांक 17.06.2021 से दिनांक 25.06.2021 (कुल नौ दिन) तक के लिए संशोधित किया जाता है।

3. श्री प्रसाद की संदर्भित अनुपस्थिति अवधि के लिए सामान्य प्रशान विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/अ0–14/2012(खण्ड)–सा0प्र0– 4375 दिनांक 01.04.2021 में उनके द्वारा धारित पद/कार्य के लिए की गयी अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

18 जून 2021

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5859**––श्री हरेन्द्र नाथ दूबे, भा0प्र0से0(2006), विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं0 **1/पी–1004/2021–सा0प्र0–5860**––श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0(2007), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, खान, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

18 जून 2021

सं0 **1/अ0–1010/2017–सा0प्र0–5868**––श्री अंशुल कुमार, भा0प्र0से0 (2016), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–1/अ0–1010/2017–सा0प्र0–4916 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से दिनांक 18.04.2021 से 02.05.2021 तक के लिए स्वीकृत कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश का उपभोग कोरोना संकट को देखते हुए नहीं किये जाने के कारण उक्त उपार्जित आवकाश को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

19 जून 2021

सं0 **1/पी0–1004/2021–सा0प्र0–5872**––श्रीमती रचना पाटिल (2010), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 **1/पी0–1004/2021–सा0प्र0–5873**––श्री हिमांशु कुमार राय(2010), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें जहानाबाद जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 **1/पी0–1004/2021–सा0प्र0–5874**––श्री नवीन कुमार (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें मुंगेर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 **1/पी0–1004/2021–सा0प्र0–5875**––श्री सुनील कुमार यादव(2012), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के तहत उन्हें सीतामढ़ी जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

सं0 **1/पी0–1004/2021–सा0प्र0–5876**––श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा (2014), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

25 जून 2021

सं0 **1/यी0–1007/2021–सा0प्र0**–6149––श्री त्रिपुरारि शरण, भा0प्र0से0 (बी एच : 85), मुख्य सचिव, बिहार की सेवा उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि–30.06.2021 के बाद आगामी तीन (03) माह के लिए (अर्थात, 01.07.2021 से 30.09.2021 तक) अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16 (1) के तहत विस्तारित की जाती है।

2. इस संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्राांक–26014/2/2020–एआईएस(II) दिनांक 24.06.2021 द्वारा भारत सरकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

29 जून 2021

सं0 **1/अ0–1002/2016–सा0प्र0–6228**––श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0(2013), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या–1/अ0–1002/2016 –सा0प्र0–5101 दिनांक–22.04.2021 द्वारा दिनांक 14.05.2021 से 16.05.2021 के सार्वजनिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रुप में उपभोग के साथ प्रदत्त दिनांक 05.05.2021 से 13.05.2021 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश (दिनांक 06.05.2021 से संयुक्त अरब अमीरात की यात्राा की अनुमति सहित) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री आनन्द शर्मा द्वारा वर्तमान कोरोना संकट को देखते हुए आलोच्य उपार्जित छुट्टी का उपभोग नहीं किये जाने के कारण उन्हें स्वीकृत उक्त छुट्टी को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

5 जुलाई 2021

सं0 **1/पी0–1005/2013–सा0प्र0**–6550––राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी–श्री प्रदीप कुमार, आई0ई0डी0एस0, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना) की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक 19.07.2021 के प्रभाव से अगले एक (01) वर्ष के लिए अर्थात्, दिनांक 18.07.2022 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

6 जुलाई 2021

सं0 **1/अ0–26/2008–सा0प्र0–6637**––श्री दयानिधान पाण्डेय,भा0प्र0से0(2006), विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक– 02.06.2021 से 01.07.2021 तक कुल 30 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री दयानिधान पाण्डेय की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रभार के निष्पादन हेतु श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) अधिकृत माने जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

7 जुलाई 2021

सं0 **1/अ0–1029/2013–सा0प्र0–6690**––श्रीमती इनायत खान, भा0प्र0से0 (2012), जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 06.05.2021 से 17.05.2021 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

9 जुलाई 2021

सं0 1/अ0–1011/2018–सा0प्र0–6878––श्री विजय प्रकाश मीणा, भा0प्र0से0 (2016), उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम–18 बी के अधीन दिनांक–08.07.2021 से 22.07.2021 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री विजय प्रकाश मीणा की आलोच्य अवकाश अवधि में अपर समाहर्त्ता, वैशाली, हाजीपुर अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

10 जुलाई 2021

सं0 **1/सी–1015/2008–सा0प्र0**–6901––निम्नांकित भा0प्र0से0 पदाधिकारी अपने–अपने वर्तमान दायित्व/प्रभार के साथ अगले आदेश तक जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगेः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान दायित्व/प्रभार जिसके साथ जॉच आयुक्त का आलोच्य अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है
1	श्री अरिविन्द कुमार चौधरी (1995)	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना)
2	श्री संतोष कुमार मल्ल (1997)	सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार , पटना)
3	श्री सफीना ए0एन0 (1997)	सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

14 जुलाई 2021

सं0 **1/सी–1006/2019–सा0प्र0–7082**––बिहार संवर्ग के बैच वर्ष, 2019 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण–2 की पूर्णता के उपरान्त उन्हें उनके नाम के सामने अंकित अनुमंडलों में अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी के रुप में निम्नवत् पदस्थापित किया जाता हैः–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन
1	श्री समीर सौरभ	अनुमण्डल पदाधिकारी, डेहरी–ऑन–सोन, रोहतास
2	श्री कुमार अनुराग	अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार शरीफ, नालन्दा
3	श्री सुमित कुमार	अनुमण्डल पदाधिकारी, महनार, वैशाली

2. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित उपर्युक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियॉ एवं संबंधित जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 (एक्ट–2, 1974) की धारा–144 का प्रयोग करने की शक्तियॉ उन्हें प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

———

अधिसूचना

19 जुलाई 2021

सं0 3/स्था0रा0अ0 (नियुक्ति)–06/2020–221(3)/रा0––बिहार लोक सेवा आयोग की 63वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित श्री सुमित आनंद (अनुक्रमांक–214812, मेधा क्रमांक–172) को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल–7 (₹44,900–1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–9 में अंकित कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	गृह जिला	जन्म तिथि	मेधा क्रमांक	मूल आरक्षण कोटि	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर	पदस्थापन जिला एवं कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	214812	**श्री सुमित आनंद** पिता–श्री कैलाश प्रसाद पता–सुनीता वाटिका, पत्थर रोड, सरिस्ताबाद, नया टोला, गर्दनीबाग, पटना, पिन–800001	पटना	28.01.1992	172	**05– पिछड़ा वर्ग**	05– **पिछड़ा वर्ग**	राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, उदवंतनगर, भोजपुर

1. (i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए किया जाता है।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

(iii) नव नियुक्त पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

(iv) अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे मूल रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर हीं उनका योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

(v) उक्त अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0–1919 दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(vi) नियुक्त पदाधिकारी के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1964, दिनांक–21.08.2005 एवं पत्रांक–768 पे0को0, दिनांक–03.07. 2007 के आलोक में नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

3. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं तो योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देंने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. उक्त अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपना योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कंचन कपूर, संयुक्त सचिव।

———————

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)

———————

अधिसूचना

14 जुलाई 2021

सं० म०/बंदो० –18/2019 (खण्ड)–829/मत्स्य––उच्च स्तर पर विभागीय जलकरों की बंदोबस्ती एवं राजस्व वसूली तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के समस्याओं की समीक्षा के क्रम में यह बातें सामने आई है कि कतिपय जिलों के प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समितियों द्वारा जलकरों की बंदोबस्ती के उपरांत COVID-19 के वजह से जलकरों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन/शिकारमाही/विपणन तथा मत्स्य पालन के लिए आवश्यक सामग्रियों की निर्वाध आपूर्ति वाधित रहने के फलस्वरूप जलकरों के पट्टेदारों को आर्थिक समस्या है जिसके कारण ससमय राजस्व जमा करने में कठिनाई हो रही है। मत्स्यजीवी सहयोग समितियों से सम्बद्ध सदस्यों को जीवीकोपार्जन का अवसर प्रदान करने के लिए जलकरों की बंदोबस्ती सुरक्षित जमा राशि पर की जाती है। चूँकि COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु Social Distancing बनाये रखना तथा Lockdown का पालन के निमित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों द्वारा जलकरों में सामान्य रूप से मत्स्य पालन एवं शिकारमाही वाधित रहने के कारण अधिनियमानुसार कतिपय प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा बंदोबस्त जलकरों का वर्ष 2020–21 का वार्षिक सुरक्षित जमा का द्वितीय किस्त जमा करने में व्यवहारिक कठिनाई परिलक्षित हुई है। चूँकि बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(xii)(ख) में प्रावधान है कि समितियों द्वारा द्वितीय किस्त की अदायगी 31 जनवरी के पूर्व की जाएगी तथा सिघाड़ा एवं मखाना–सह–मत्स्य जलकरों के लिए द्वितीय किस्त की अदायगी 31 मार्च के पूर्व की जाएगी। अन्यथा निर्धारित अवधि में राजस्व अदायगी नहीं होने की स्थिति में जिला मत्स्य पदाधिकारी समिति को तत्क्षण कारण पृच्छा कर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर बंदोबस्ती रद्द की कार्रवाई करेंगे।

उक्त के आलोक में सरकार के संज्ञान में बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही है। उपर्युक्त व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने हेतु सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत बिहार मत्स्य

जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बंदोबस्त जलकरों का वर्ष 2020–21 में लंबित किस्त का राजस्व जमा करने की निर्धारित अवधि को क्षांत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

i. बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा 7(xii)(ख) में निहित प्रावधान है कि के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समितियों के साथ बंदोबस्त मत्स्य जलकरों का निर्धारित राजस्व का द्वितीय किस्त अदायगी 31 जनवरी के पूर्व एवं सिंघाड़ा एवं मखाना–सह–मत्स्य जलकरों के लिए द्वितीय किस्त 31 मार्च के पूर्व वसूलनीय होता है। किन्तु कोविड–19 के संक्रमण के मद्देनजर कतिपय समितियों द्वारा निर्धारित अवधि में वर्ष 2020–21 का लंबित किस्त राजस्व जमा नहीं की गई हो, वैसे समितियों को वर्तमान में उत्पन्न परिस्थिति विशेष के मद्देनजर बकायेदार न मानते हुए **30 सितम्बर, 2021 तक का अतिरिक्त समय सीमा देते हुए राजस्व की राशि वसूली की जा सकेगी।** इस हद तक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बंदोबस्त सभी प्रकार के जलकरों की वर्ष 2020–21 का लंबित किस्त की राशि जमा करने हेतु निर्धारित अवधि को 30 सितम्बर, 2021 तक के लिए समय सीमा विस्तारित किया जाता है।

ii. यह सुविधा केवल वैसे निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों, जिनके साथ मत्स्य/मखाना सह–सिंघाड़ा जलकर बंदोबस्त हैं एवं वर्ष 2020–21 का निर्धारित राजस्व का लंबित किस्त जमा नहीं किया जा सका हो, के लिए हीं मान्य होगी।

iii. यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू किया जाता है।

iv. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, विशेष सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
20 जुलाई 2021

सं0 1/एल01–10–04/2015–गृ0आ0–4895––श्री चंदन कुमार कुशवाहा, भा0पु0से0 (2010), समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी (मुख्यालय), पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत उपभोग किये गये दिनांक 27.04.2021 से दिनांक 31.05.2021 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, **सचिव।**

---

20 जुलाई 2021

सं0 1/एल01–10–04/2021–गृ0आ0–4894––श्री बलिराम कुमार चौधरी, भा0पु0से0, तत्कालीन समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी (मुख्यालय), पटना सम्प्रति राज्यपाल, बिहार के परिसहाय (पुलिस) को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–12 एवं 13 के अन्तर्गत उपभोग किये गये दिनांक 08.04.2021 से दिनांक 24.04.2021 तक 17 (सत्रह) दिनों के रूपांतरित (17 X 2 = 34 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, **सचिव।**

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
20 जुलाई 2021

सं0 कौन/भी–813/2001–59/सी––अलकतरा घोटाले से संबंधित सी0बी0आई0 काण्ड सं0–आर0सी0 2(ए)/97 आर0 में मो0 शहाबुद्दीन बेग, तत्कालीन आप्त सचिव, तत्कालीन मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना नामजद अभियुक्त थे। मो0 बेग के विरूद्ध विधि (न्याय) विभाग के आदेष सं0–एस0पी03(डी)–03/2002/ 2429/जे0 दिनांक 10.07.2002 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम सं0–45) की धारा–120 बी0–सह–पठित धारा 407/420/487/468/471 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988 का अधिनियम सं0–49) की धारा–13 (2) सह–पठित धारा–13 (1) (डी0) के अधीन अपराधों के लिये अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अलकतरा घोटाले से संबंधित आपराधिक काण्ड संख्या–आर0सी0 2(ए)/97 आर० में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–22.02.2019 को न्याय निर्णय पारित किया गया। उक्त न्याय निर्णय में मो0 शहाबुद्दीन बेग, तत्कालीन आप्त सचिव, तत्कालीन मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के आलोक में मो0 बेग के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत् कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु विभागीय पत्रांक–217/सी (अनु0) दिनांक 02.08.2019 एवं पत्रांक–218/सी (अनु0) दिनांक 02.08.2019 द्वारा उनसे कारण पृच्छा की गयी।

उक्त के आलोक में मो0 बेग द्वारा अपने आवेदन दिनांक 25.10.2019 के द्वारा कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया।

मो0 बेग द्वारा समर्पित कारण पृच्छा जवाब दिनांक 25.10.2019 में मूल रूप से उल्लेख किया गया है कि काण्ड संख्या–आर0सी0 2(ए)/97 आर० में निम्न न्यायालय (Trial Court) द्वारा दिये गये सजा के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में अपील संख्या–Cr-Appeal (Sj) 469/19 दायर किया गया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2019 को स्वीकार किया गया है, अतएव दया के दृष्टिकोण से उनके विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(ए) के तहत सारी कार्रवाई को कम से कम अपील संख्या Cr-Appeal (Sj) 469/19 में अंतिम निर्णय आने तक स्थगित रखने की कृपा की जाय।

मो0 बेग से प्राप्त उक्त कारण पृच्छा जवाब की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत उनके कारण पृच्छा जवाब/स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतएव मो0 बेग के कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय उपमुख्य (वाणिज्य–कर) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

चूँकी अलकतरा घोटाले से संबंधित एक अन्य सी0बी0आई0 कांड संख्या आर0सी0 4(ए)/97 आर0 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय राँची द्वारा मो0 बेग के विरूद्ध पारित न्याय निर्णय में उन्हें दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी थी, जिसके आलोक में मो0 बेग के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए)के तहत कार्रवाई करते हुए उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाए जाने के दंड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करते हुए उक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांगी गयी थी। अतएव एक ही व्यक्ति (मो0 बेग) के विरूद्ध एक प्रकार के घोटाले में दर्ज दो अलग–अलग मामलों में दंड दिया जा सकता है या नहीं तथा एक ही प्रकार का दंड दिया जा सकता है अथवा नहीं, के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य रूप से निम्न परामर्श दिया गयाः–

'' मो0 बेग को सक्षम न्यायालय द्वारा अलग–अलग दो अपराधिक मामलों में दोषी निर्धारित करते हुए अलग–अलग दो दंड अधिरोपित किया गया है। अतः प्रशासी विभाग को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में अलग–अलग दण्डादेश निर्गत करना चाहिए जिससे कालान्तर में सरकार द्वारा दिये गये दंड के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा में तकनीकी कारणों से किसी एक मामले में आरोपी को संदेह का लाभ मिलने पर भी सरकार द्वारा दुसरे मामले में दिया गया दंड उस पर प्रभावी रहें।

विचाराधीन मामले में श्री बेग को सेवाकाल के कदाचार से संबंधित आपराधिक मामले में दोषी पाते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गयी है। अतः इस मामले में बिहार पेंशन नियमावली का नियम–43(क) प्रभावी नहीं होगा। प्रशासी विभाग इस मामले में नियम–43(ख) के प्रावधान के तहत सरकार के अनुमोदन से पेंशन की कटौती/वसूली का समुचित निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–806 दिनांक 16.01.2018 की कंडिका–7 (iii) के प्रावधान के आलोक में ऐसे मामलों में निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार के रूप में विभाग के प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकार है।''

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में मो0 बेग के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक–131/सी दिनांक–03.07.2020 एवं पत्रांक–132/सी दिनांक 03.07.2020 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस प्रेषित की गयी। मो0 बेग से कारण पृच्छा जवाब अप्राप्त रहने की स्थिति में उन्हें अनेक स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किया गया।

उक्त के आलोक में मो0 बेग द्वारा कारण पृच्छा जवाब विभाग को समर्पित किया गया। जिसे समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। अतएव उक्त कारण पृच्छा जवाब से असहमत होते हुए मो0 बेग के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत उनके पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दंड प्रस्ताव पर माननीय उपमुख्य (वाणिज्य–कर) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–43/सी, (अनु0), दिनांक 25.03.2021 के द्वारा मो0 बेग के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–05/प्रो.–36–01/2021(615)/लो.से.आ. दिनांक–28.06.2021 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर दिये गये सहमति के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत मो0 शहाबुद्दीन बेग, तत्कालीन आप्त सचिव, तत्कालीन मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत वाणिज्य–कर पदाधिकारी (सेवानिवृत्ति की तिथि–28.02.2014) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(दरभंगा)-समस्तीपुर-वाद-01/2018-492554--डॉ0 जियाउल हक, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, समस्तीपुर के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक-2052 दिनांक 05.07.2018 से प्राप्त वाद संख्या-ए-8736/17 में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश में इन्हें आवेदक को वांछित सूचना प्रदान करने में अनावश्यक विलंब के आरोपों के लिये इनसे कारण पृच्छा लेकर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई ।

उक्त आरोप पर डॉ0 जियाउल हक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया ।

डॉ0 हक से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-73 दिनांक 13.06.2019 से प्राप्त मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री हक के द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सावधानी पूर्वक एवं समय सीमा का अनुपालन नहीं किया गया है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि डॉ0 हक का स्पष्टीकरण भ्रामक एवं तथ्यहीन है, उनका आचरण सरकारी पदाधिकारी के प्रतिकूल है एवं इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है । यह लोक सेवकों के आचरण के प्रतिकूल कार्य करने एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है ।

अत: सम्यक विचारोपरांत डॉ0 जियाउल हक, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोहनपुर, समस्तीपुर सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुर्था, अरवल के विरूद्ध 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री हक के चारित्री/सेवापुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी0, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग–2

बिहार–राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पटना उच्च न्यायालय, पटना

शुद्धि

7 जनवरी 2021

सं0 997–1014––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के शुद्धि पत्रांक संख्या 7/स्था0–04–08/2020 सा0प्र0 12620 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में न्यायालय के अधिसूचना संख्या 09 नि0 दिनांक 21.01.2020, जो ज्ञापांक संख्या 4146–4200 दिनांक 21.01.2020 के द्वारा निर्गत किया गया था, के क्रमांक संख्या 138 पर अंकित नाम वर्तिका सिंह को वर्तिका पढ़ा जाएगा।

उच्च न्यायालय के आदेश से,
नवनीत कुमार पाण्डेय, **महानिबंधक।**

The 7th January 2021

No. 997-1014--In the light of the Corrigendum no. 7/Stha.-04-08/2020 Sa. Pra. 12620 dated 28.12.2020 issued by the General Administration Department, Government of Bihar, the name of **Ms. Vartika Singh** as mentioned at serial no. 138 of Court's notification no. 09 A dated 21.01.2020 issued vide Memo No. 4146-4200 dated 21.01.2020, shall be read as **Ms. Vartika.**

By Order of the High Court,
N. K. Pandey, **Registrar General.**

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

(शुद्धि–पत्र)

12 जुलाई 2021

सं0 1/सी–1015/2008–सा0प्र0–6907––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/सी–1015/2008–सा0प्र0–6901 दिनांक 10.07.2021 की तालिका के क्रमांक–03 पर अंकित बैच वर्ष, 1997 के भा0प्र0से0 पदाधिकारी के नाम को **'श्री सफीना ए0एन0' के स्थान पर 'श्रीमती सफीना ए0एन0'** पढ़ा जाए ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10–डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 677—I KUMARI Renuka Shrivastava w/o M. K. Srivastava R/o 505B, Jascon Residency Trilok Nagar, Gulzarbagh, Patna-7 shall be known as Renuka Shrivastava vide affidavit no. 195 dated 2.12.20.

KUMARI Renuka Shrivastava.

———————

सं0 691––मैं महताब आलम उर्फ इरफान अहमद (Mahtab Alam Alias Irfan Ahmad), पिता–मोहम्मद अब्बास, ग्राम+पो0+पंचायत–बौराम, भाया–बिरौल, थाना–बड़गांव ओ0पी0, (जमालपुर), प्रखण्ड सह अंचल–गोड़ा बौराम, जिला–दरभंगा बयान करता हूँ कि मेरा घरेलू नाम इरफान अहमद एवं शैक्षणिक नाम महताब आलम है लेकिन अब मैं महताब आलम उर्फ इरफान अहमद (Mahtab Alam Alias Irfan Ahmad) नाम से ही जाना व पहचाना जाऊंगा। Affi. No.-23476/30.10.19.

महताब आलम उर्फ इरफान अहमद।

———————

No. 705—I, ANIL Kumar Singh S/O Surendra Prasad Singh born on 21/06/1962 residing at 203, Dwarikadhish Enclave, Near Gyanodaya Gurukul School, Gola Road, Patna 801503 have changed my name to Anil Kumar vide affidavit dated 02/07/2021 at Patna

ANIL Kumar Singh.

———————

No. 712—I, George Jessie George, W/o Mr. Sushil Kumar Modi, Road No. 8A, Rajendra nagar, Patna-16, Vide affidavit No. 3789, dated 17.02.2021 Declare that I shall be called "Jessie Sushil Modi" in future, for all purposes.

George Jessie George.

———————

No. 713—I, RITIKA D/o Ravindra Kumar, E-3, Ram Lakhan Enclave, Raijee Ki Gali, East Boring Canal Road, Patna have changed my name to Ritika Prakash vide affidavit no. 45 dated 22.07.2021 sworn in the Court of Executive Magistrate, Sadar Patna (in continuation of earlier affidavit no. 17569 dated 27.12.2011).

RITIKA.

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in

बिहार गजट
का
पूरक (अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 08/आरोप–01–26/2019 सा०प्र०–6963
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
12 जुलाई 2021

श्री वीरेन्द्र नारायण पाण्डेय, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–771/2011 तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति, विभागीय भू–अर्जन कार्यो में अभिरूचि नहीं लेने, निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाने, बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने एवं बिना प्रभार सौपे उपार्जित अवकाश में प्रस्थान कर जाने से संबंधित आरोप पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 626 दिनांक 07.08.2019 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए करते हुए विभागीय पत्रांक 15209 दिनांक 08.11.2019 द्वारा श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री पाण्डेय से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 28.11.2019) के समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक 1086 दिनांक 21.01.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में श्री पाण्डेय के दिनांक 31.01.2020 को वार्धक्य सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक 1894 दिनांक 06.02.2020 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–43(बी0) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी (यथा आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा) के पत्रांक 134 दिनांक 07.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। पत्रांक 950 दिनांक 21.01.2021 द्वारा श्री पाण्डेय से प्रमाणित आरोपों पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री पाण्डेय का लिखित अभिकथन (दिनांक 01.02.2021) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा भू–अर्जन कार्यो में शिथिलता नहीं बरतने, जिला पदाधिकारी से अनुमति पटना जाने एवं लड़की की शादी में अर्जित अवकाश पर जाने आदि का उल्लेख करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री पाण्डेय से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री पाण्डेय द्वारा लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में जो बातें कही गयी है उन सभी बातो का उल्लेख उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत बचाव बयान में भी कही गयी थी, जिसके समीक्षोपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है।

श्री पाण्डेय को जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा गठित आरोप पत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बार–बार स्पष्टीकरण पूछे जाने के बावजूद इनके कार्यकलाप में कोई सुधार नहीं हुआ। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। इनके प्रतिकूल कार्यकलाप एवं असंतोषजनक कार्य के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा बार–बार आपत्ति एवं अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। निर्वाचन कार्य में शिथिलता एवं कर्त्तव्यहीनता के कारण लोक सभा निर्वाचन 2019 की तैयारी में बाधा पहुँची। इसके बावजूद श्री पाण्डेय द्वारा निर्वाचन, विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यो में कोई अभिरूचि नहीं लिया गया। इनके कार्यकलाप में भी कोई सुधार नहीं हुआ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री वीरेन्द्र नारायण पाण्डेय, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–771/2011 तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के निमय–43(बी) के तहत **''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षो तक''** करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3127 दिनांक 05.03.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग की दिनांक 21.06.2021 को आहूत पूर्ण पीठ

की बैठक में श्री पाण्डेय के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित उक्त दंड प्रस्ताव (**पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षो तक करने**) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त मंतव्य/सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 607 दिनांक 28.06.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र नारायण पाण्डेय, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–771/2011 तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा को प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत **पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षो तक** करने का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, अवर सचिव।

सं0 27/आरोप–01–68/2019–सा0प्र0–6824

---

8 जुलाई 2021

श्री मुकेश कुमार 'मुकुल', बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1053/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–976/गो0 दिनांक 21.04.2015 द्वारा भारतीय पार–पत्र के निमित अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक सहित) अनुशंसा के साथ इस विभाग में उपलब्ध कराया गया। आवेदन के साथ संलग्न श्री मुकुल द्वारा समर्पित शपथ–पत्र में निम्नलिखित तथ्य अंकित किया गया :–

That No proceeding in respect of any criminal offence alleged to have been committed by me are pending before any criminal court in India.

2. पार–पत्र निर्गत करने पर विचार करने के क्रम में पाया गया कि श्री मुकुल के विरूद्ध दर्ज गढ़पुरा थाना काण्ड सं0–29/2005 में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–3968 दिनांक 22.05.2012 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है।

3. थाना कांड दर्ज होने के बावजूद भारतीय पार–पत्र के निमित गलत शपथ–पत्र समर्पित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक–8574 दिनांक–15.06.2015 द्वारा श्री मुकुल से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4. श्री मुकुल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया कि अभियोजन स्वीकृति की जानकारी उन्हें नहीं होने के कारण शपथ–पत्र में नहीं दर्शाया गया है। उनके संज्ञान में आने के पश्चात् दिनांक 04.06.2015 एवं 05.06.2015 को अभ्यावेदन देकर तत्काल पार–पत्र निर्गत करने से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई खारिज/रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकृत कर दिया गया एवं गलत शपथ–पत्र दिये जाने के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

5. उपर्युक्त के आलोक में श्री मुकुल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय पत्रांक–1474 दिनांक 17.02.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा स्पष्टीकरण में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जिसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया था।

6. श्री मुकुल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया एवं उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विस्तृत जांच हेतु उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। साथ ही विभागीय कार्यवही संचालित करने हेतु आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

7. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक–1365 दिनांक 19.07.2019 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री मुकुल के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

8. संचालन पदाधिकारी के प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, बेगुसराय एवं पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय से उक्त थाना कांड सं0–29/2005 दिनांक 10.05.2005 में प्राथमिकी के बाद अपराधिक मामले की अद्यतन स्थिति के साथ अनुसंधान या न्यायालय में सुनवाई हेतु श्री मुकुल पुलिस के समक्ष या न्यायालय में उपस्थित हुए हैं या नहीं और यदि उपस्थित हुए हैं तो किन तिथियों पर से संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

9. विभागीय पत्र के आलोक में जिलाधिकारी, बेगुसराय द्वारा पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय के पत्रांक–105 दिनांक 07.04.2021 की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदित किया गया कि श्री मुकेश कुमार मुकुल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़पुरा कभी भी पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

10. तत्पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि यद्यपि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी को उनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति की जानकारी नहीं होने के कारण शपथ पत्र में गलत अंकन होना परिस्थितिजन्य भूल मानते हुये गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है, लेकिन भारतीय पार–पत्र के निमित्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में गलत सूचना अंकित की गयी, जो सरकारी पदाधिकारी के आचरण के अनुकूल नहीं है।

11. विभागीय पत्रांक–5279 दिनांक 17.05.2021 द्वारा असहमति के विन्दु पर श्री मुकेश कुमार 'मुकुल' से बचाव बयान समर्पित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में श्री मुकुल के पत्रांक–01/कैम्प दिनांक 14.06.2021 द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मानवीय भूल मानते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

12. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री मुकुल द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री मुकुल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत उन्हें **'एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने'** का दंड विनिश्चित किया गया है।

13. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मुकेश कुमार 'मुकुल', बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1053/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत **'एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने'** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/आरोप–01–108/2019–सा0प्र0–6886

---

9 जुलाई 2021

मो0 शाकिर जमाल, सेवानिवृत्त बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 234/2011, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा के विरूद्ध प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के ज्ञापांक–29 दिनांक–01.06.11 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मो0 शाकिर जमाल दिनांक 18.03.11 से ही शेखपुरा छोड़कर चले गये है। इनकी गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इनके अचानक अनुपस्थित हो जाने के संबंध में तरह–तरह की अटकलें लगायी जा रही है। पूरा प्रकरण संदेहास्पद हो चला है। उनके द्वारा श्री जमाल के विरूद्ध उचित कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा इस विभाग से की गयी।

2. प्रधान सचिव, निगरानी विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 1079 दिनांक 31.07.11 द्वारा मो0 जमाल के दिनांक 18.03.11 से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की पुष्टि की गयी। श्री जमाल के संबंध में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा आकस्मिक छुट्टी अस्वीकृति के उपरान्त भी मुख्यालय नहीं लौटने तथा मोबाईल पर संपर्क किये जाने के बावजूद मोबाईल बन्द रखने की सूचना ग्रामीण विकास विभाग को दिये जाने संबंधी पत्र को अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया।

3. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9552 दिनांक 25.08.11 द्वारा मो0 जमाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9599 दिनांक 25.08.11 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 2727 दिनांक 24.10.2011 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत अनुपस्थिति का आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15736 दिनांक 16.11.12 द्वारा इन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए 'निन्दन (संगत वर्ष 2010–11) एवं निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने' का दंड संसूचित किया गया। तत्पश्चात् मो0 जमाल द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17339 दिनांक 11.11.13 द्वारा अस्वीकृत किया गया। पुनः मो0 जमाल द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 30.08.16 को समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16355 दिनांक 08.12.16 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

6. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध मो0 जमाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–14784/13 में दिनांक 20.06.19 को पारित आदेश के आलोक में समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 480 दिनांक 13.01.20 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर बचाव बयान की मांग की गयी।

7. उक्त के आलोक में मो0 जमाल के पत्रांक–कैम्प/दिनांक 21.01.2020 द्वारा अपना बचाव बयान समर्पित किया गया।

8. मो0 जमाल के दिनांक 31.05.17 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11891 दिनांक 14.12.20 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43'बी' के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

9. वर्णित तथ्यों के आलोक में मो0 जमाल द्वारा समर्पित बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में मो0 जमाल को संसूचित दंडादेश संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15736 दिनांक 16.11.2012 को वापस लेते हुए एवं मो0 जमाल के अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप को संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43'बी' के प्रावधानों के तहत् **''उनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने''** का दंड विनिश्चित किया गया।

10. मो0 जमाल के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1326 दिनांक 01.02.2021 एवं पत्रांक–2761 दिनांक 01.03.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की मांग की गयी। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक–611 दिनांक 28.06.2021 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

11. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 जमाल द्वारा समर्पित बचाव बयान/अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43'बी' के प्रावधानों के तहत् मो0 शाकिर जमाल, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 234/2011, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, शेखपुरा सम्प्रति सेवानिवृत को **"उनके पेंशन से 5 प्रतिशत राशि की कटौती एक वर्ष तक करने"** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

सं0 27/आरोप–01–51/2021,सा०प्र०–6900

---

9 जुलाई 2021

श्री रजनीश लाल, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–991/11) जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3781 दिनांक 07.07.2021 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु इस विभाग से अनुरोध किया गया। श्री लाल के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या–23/2021 दिनांक 22.06.2021 धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(बी.) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किये जाने की सूचना दी गयी है।

उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री रजनीश लाल, बि०प्र०से०,कोटि क्रमांक–991/11 को संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है। इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री रजनीश लाल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in